उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, द्वितीय तल, लेखराज मार्केट–2, इन्दिरा नगर, लखनऊ

खाद्यान्न सहायता योजना
संशोधित निविदा सूचना

पत्राँकः /भ0नि0बो0–(1317)/2016 दिनाँकः 09–12–2016

उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, द्वितीय तल, लेखराज मार्केट–2, इन्दिरा नगर, लखनऊ द्वारा संचालित खाद्यान्न सहायता योजना के अन्तर्गत दिनाँक 12–11–2016 को प्रकाशित निविदा को तकनीकी कारणों से निरस्त कर दिया गया है। इस सन्दर्भ में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त योजना में उत्तर प्रदेश के 13 जनपदों (लखनऊ, कानपुर नगर, कन्नौज, मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, आगरा, अलीगढ़, बरेली, इलाहाबाद, वाराणसी, गोरखपुर, तथा बलरामपुर) में पात्र पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को खाद्यान्न (चावल, दाल तथा चीनी) की आपूर्ति की जानी है।

प्रत्येक जनपद में पात्र पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की संख्या निम्न प्रकार है–

क्र0	जनपद का नाम	कुल पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की संख्या
1	लखनऊ	100104
2	कानपुर नगर	115918
3	बरेली	79075
4	मेरठ	113636
5	गाजियाबाद	94037
6	गौतमबुद्ध नगर	156714
7	आगरा	95621
8	वाराणसी	50214
9	अलीगढ़	65706
10	इलाहाबाद	87228
11	गोरखपुर	97856
12	कन्नौज	31592
13	बलरामपुर	13762
योग		1101463

उपरोक्त जनपदों में खाद्यान्न आपूर्ति हेतु आपूर्तिकर्ताओं के चयन हेतु जनपदवार निविदा आमन्त्रित है।

1. पात्र पंजीकृत श्रमिकों की संख्या बढ़ अथवा घट सकती है जिसकी पुष्टि सम्बन्धित जनपदों के श्रम प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा की जायेगी।
2. योजना के अन्तर्गत सफल निविदादाता द्वारा उपरोक्त जनपदों में पात्र पंजीकृत श्रमिकों को खाद्याान्न उपलब्ध कराने हेतु सस्ते दर की दुकानें स्थापित की

जायेंगीं। दुकानों की संख्या एवं स्थान का निर्धारण स्थानीय श्रम विभाग के कार्यालय द्वारा इस प्रकार किया जायेगा कि पात्र न्यूनतम एक हजार श्रमिकों पर एक दुकान स्थापित की जाये। दुकानों का संचालन आवश्यकतानुसार मोबाइल वैन के माध्यम से भी किया जा सकेगा।

3. खाद्यान्न आपूर्तिकर्ता का चयन जनपदवार टेण्डर प्रक्रिया से किया जायेगा।
4. दुकान संचालकों को दुकान के लिये स्थान, सामान रखने के लिये गोदाम तथा परिवहन व्यवस्था में आने वाले व्यय का वहन स्वयं करना होगा। दुकान के स्थान का निर्धारण स्थानीय स्तर पर उप श्रमायुक्त/ सहायक श्रमायुक्त द्वारा किया जायेगा।
5. लाभार्थी द्वारा अदा की जाने वाली धनराशि तथा विक्रय की जाने वाली वस्तुओं के मूल्य के अन्तर्धन की राशि का भुगतान/वहन बोर्ड द्वारा किया जायेगा।
6. पंजीकृत श्रमिक को खाद्यान्न सहायता योजना के अन्तर्गत दुकानों/मोबाइल वैनों के पास अपने पंजीयन कार्ड तथा आधार कार्ड के साथ जाकर वहाँ बायोमीट्रक मशीन के द्वारा आधार कार्ड के माध्यम से अपनी पहचान स्थापित करनी होगी। इस कार्य हेतु निविदादाता को बोर्ड द्वारा दिये गये तकनीकी मानकों के अनुसार अपने व्यय पर कम्प्यूटर, बायोमीट्रिक मशीन, प्रिन्टर, इण्टरनेट कनेक्शन आदि की व्यवस्था अपने व्यय पर करनी होगी। पंजीकृत श्रमिक द्वारा पहचान स्थापित हो जाने के उपरान्त अपनी आवश्यकतानुसार सामग्री कर क्रय किया जा सकेगा।
7. क्रय किये जाने वाले सामान के भुगतान, विक्रय की गयी सामग्री का विवरण तथा बिलिंग आदि का रख–रखाव निविदादाता को बोर्ड द्वारा इस कार्य हेतु तैयार किये गये विशेष साफ्टवेयर द्वारा करना होगा।
8. निविदा में प्रत्येक मद हेतु आपूर्ति की जाने वाली सामग्री की पृथक–पृथक दरें (कर अतिरिक्त, यदि कोई देय हों) तथा उसके विक्रय पर आने वाले व्यवस्थापन व्यय को प्रदर्शित करना होगा। निविदा से सम्बन्धित अन्य शर्तें व विस्तृत विवरण निविदा प्रपत्र तथा बोर्ड की बेबसाइट upbocw.in पर उपलब्ध हैं, जो सभी निविदादाताओं पर बाध्यकारी होंगी।

उपरोक्त जनपदों हेतु जो भी निविदादाता खाद्यान्न (चावल, दाल तथा चीनी) की आपूर्ति हेतु इच्छुक हों, वे निविदा प्रस्तुत कर सकते हैं।

<u>निविदादाता की पात्रता–</u>

1. कोई भी गैर–सरकारी संस्था/फर्म/कम्पनी जिसका पंजीयन सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत कम से कम 02 वर्ष पूर्व हुआ हो, आवेदन कर सकता है।
2. गैर–सरकारी संस्था/फर्म/कम्पनी के पास सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत एवं प्रभावी टिन नम्बर, सर्विस टैक्स का पंजीयन, फूड लाईसेन्स तथा पैन संख्या होना अनिवार्य है।
3. निविदादाता को केन्द्र/राज्य सरकार के किसी भी मंत्रालय/विभाग/बोर्ड/ निगम/उपक्रम अथवा निकाय द्वारा काली सूची में न डाला गया हो।
4. निविदादाता संस्था/फर्म/कम्पनी का विगत 02 वर्षों में 50 करोड़ प्रतिवर्ष का न्यूनतम वार्षिक टर्नओवर हो। **किसी भी निविदादाता को उसके 02 वर्षो के वार्षिक टर्नओवर की धनराशि के औसत के 50 प्रतिशत धनराशि से अधिक राशि का कार्य नहीं आवन्टित किया जायेगा।**

5. खाद्यान्न की आपूर्ति बन्द पैकटों (चावल–05 कि0ग्रा0, दाल–1.5 कि0ग्रा0 तथा चीनी–01 कि0ग्रा0 के पैकेट) में की जायेगी तथा इसकी गुणवत्ता एफ0एस0एस0ए0आई0 के मानकों के अनुसार होगी।
6. निविदादाता गैर–सरकारी संस्था/फर्म/कम्पनी द्वारा निविदा के वित्तीय भाग में सामान्य अरवा चावल, दाल (अरहर सामान्य), दाल (उड़द सामान्य) तथा चीनी की प्रति कुन्तल दरें तथा योजना मानकों के अनुसार उसके विक्रय पर आने वाले व्यवस्थापन की दरें पृथक–पृथक बतानी होंगी जिसकी तुलना कर आपूर्तिकर्ता संस्था का चयन किया जायेगा। निविदादाता द्वारा बतायी गयी दरें 07 माह के लिये वैध होनी चाहिये।
7. निविदादाता एक से अधिक जनपदों के लिये आवेदन कर सकते हैं परन्तु ऐसे सभी आवेदन पृथक–पृथक लिफाफों में होगें तथा उनके लिये पृथक शुल्क व अर्नेस्ट मनी जमा करना होगा।

निविदा के लिये समय–सारणी निम्नवत है–

1. निविदा प्रकाशन की तिथि– 12–12–2016
2. निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की तिथि– दिनाँक 13–12–2016 से 27–12–2016 तक पूर्वान्ह 10.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक।
3. निविदा प्रपत्र जमा करने की तिथि– दिनाँक 28–12–2016 को अपरान्ह 12 बजे तक
4. निविदा का तकनीकी भाग खोलने की तिथि– दिनाँक 28–12–2016 को अपरान्ह 01.00 बजे से
5. निविदा का वित्तीय भाग खोलने की तिथि– दिनाँक 28–12–2016 को अपरान्ह 03.00 बजे से

निविदा प्रपत्र का मूल्य रूपया 2000/– मात्र होगा तथा प्रत्येक निविदा प्रपत्र के साथ रूपया 02 लाख मात्र अर्नेस्ट मनी, जो बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चेक के रूप में, तथा जो सचिव, उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के पक्ष में देय हो, जमा करना अनिवार्य होगा। निविदा प्रपत्र बोर्ड की बेब–साइट upbocw.in से 13–12–2016 की पूर्वान्ह 10.00 बजे से दिनाँक 27–12–2016 की सायं 05.00 बजे तक डाउनलोड किये जा सकते हैं। डाउनलोड किये गये आवेदनों के सन्दर्भ में निविदा प्रपत्र के मूल्य का बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चेक निविदा प्रपत्र जमा करने से पूर्व जमा करना अनिवार्य होगा। नकद धनराशि किसी भी दशा में स्वीकार नहीं की जायेगी।

(बी0जे0 सिंह)
सचिव, बोर्ड।